"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 28, शक 1927

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-25/18/2005.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में —

नियम 3-क के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"नियम 3-क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शैक्षणिक पूर्त, धार्मिक या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लोक संस्थाओं को अथवा समाचार पत्रों को प्रेस कॉम्पलेक्स निर्माण करने हेतु किसी अचल संपत्ति का अन्तरण, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से क्रमशः राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-एक एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-दो में यथा निर्धारित शर्तों व दरों के अनुसार किया जायेगा.

परन्तु, विशेष मामलों में भूमि का आवंटन, राज्य सरकार द्वारा मंत्रि-परिषद् के आदेशों के पश्चात्, ऐसी शर्तों एवं दरों पर किया जा सकेगा जैसा कि विशिष्ट मामले में मंत्रि-परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए.''

Raipur, the 19th December 2005

NOTIFICATION

No. F 1-25/18/2005.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 80 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government hereby makes the following amendment in Chhattisgarh Nagar Palik Nigam (Achal Sampatti Ka Antaran) Niyam 1994, namely :—

AMENDMENT

In said Rules—

For Rule 3-a following shall be substituted, namely :—

"Notwithstanding anything contained in Rule 3-a, any fixed asset can be transferred to Public institutions for educational, religious or for public use or to Newspapers for construction of Press complex with prior permission of the State Government as per conditions and rates determined in the Revenue Book of Circular Four-One and Revenue Book of Circular Four-Two respectively.

Provided that, in special cases the allotment of land can be made by the State Government, after the orders of the Cabinet, on such conditions and rates in particular case as determined by the Cabinet.".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.